# *Spl. Cum M.P/M.L.A Case No 21143/2018*

| *Date of Order* | *Order with signature of the court* | *Office action taken with date* |
|---|---|---|
| **02.09.2024** | कुल दो अभियुक्त में से एक अभियुक्त चन्द्रशेखर वर्मा की हाजरी दी गई। शेष एक की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया जिसे आज के लिए स्वीकृत की जाती है।<br>सभी पक्ष उपस्थित हुए। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक का सुना। कुछ बहस के पश्चात उन्होने एक सप्ताह का समय विधि बिन्दु जो निषिद्ध शस्त्र के संबंध में है इसके लिए समय मांगी, समय प्रदान की गई।<br>अभिलेख आज विशेष लोक अभियोजक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.06.2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते है कि अभियोजन साक्षी सं0 01 अपने परीक्षण में जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई जिसे प्रदर्श.X तथा अभियोजन साक्षी 02 के द्वारा भी सिजर लिस्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई जिसे प्रदर्श.X1 तथा अभियोजन साक्षी 03 के द्वारा भी जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई थी जिसे प्रदर्श X2 अंकित करने का आदेश है परन्तु प्रदर्श पर यह तथ्य अंकित नही है। परन्तु भूलवश प्रदर्श अंकित नही किया गया है। जिसे आज की तिथि में प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आपत्ति व्यक्त नही करते है।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के आवेदन पर पूर्ण रूप से सुना गया है। साक्षी सं0 01,02 एवं 03 द्वारा अपने–अपने परीक्षण में जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई है। अतः न्यायहित में अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.06.2024 को स्वीकृत की जाती है। तथा जब्ती सूची पर अभियोजन साक्षी सं0 01, अभियोजन साक्षी सं0 02 एवं अभियोजन साक्षी सं0 03 के हस्ताक्षर को प्रदर्श क्रमशः X,X1 & X2 अंकित करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ लिपिक आवश्यक तथ्य अंकित करे। तदनुसार आवेदन दिनांक 04.06.2024 को निष्पादित किया जाता है।<br>वाद दिनांक 07.09.2024 वास्ते बहस।<br>(लेखापित)<br>अपर जिला सत्र न्यायाधीश -II,<br>बेगूसराय। | |